

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक,
एन०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या: एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/आर०सी०एच० रजिस्टर/2015-16/51-आर/5714-2 दिनांक: 23/9/16

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में एम०सी०टी०एस० फैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम हेतु 'आर०सी०एच० इन्सट्रक्शन मैनुअल फॉर ए०एन०एम० टू रिकार्ड इनफॉर्मेशन इन आर०सी०एच० रजिस्टर वर्जन 1.1' की प्रिंटिंग हेतु आवंटित धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० वर्ष 2016-17 (ROP F.No. 10(15)/2016-NRHM-I Dated 08.08.2016) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 87वीं बैठक दिनांक 24.08.2016 के एजेण्डा मद संख्या 87.56 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत एफ०एम०आर० कोड संख्या B15.3.2.13 'आर०सी०एच० इन्सट्रक्शन मैनुअल' हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Approved for RCH register instruction manual for record of information in RCH register @ Rs 100 per manual for 1 manual for 31,114 ANMs (as per annexure shared by the State). The specifications are as under: (i) cover and back page (coloured) - 220 GSM (ii) Inside pages (black and white) - 75 GSM. Printing should be done based on competitive bidding and by following Government protocols".

उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों (संयुक्त जिला चिकित्सालय, जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र एवं शहरीय स्वास्थ्य केन्द्र) में कार्यरत 31,114 ए०एन०एम० को आर०सी०एच० इन्सट्रक्शन मैनुअल उपलब्ध कराने हेतु रू० 100.00 प्रति मैनुअल मानक के अनुसार स्वीकृत किया गया है। एम०सी०टी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बजट का उपयोग ए०एन०एम० को आर०सी०एच० इन्सट्रक्शन मैनुअल प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार व्यय किया जाना है।

उपरोक्त मानकानुसार जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B15.3.2.13 (Printing of RCH register instruction manual)

S.No.	District	No of ANMs	B15.3.2.13 Approved @ Rs. 100/ANM for printing of RCH Instruction manual
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4 = Col.3 x 100
1	Agra	555	55500.00
2	Aligarh	512	51200.00
3	Allahabad	862	86200.00
4	Ambedkar Nagar	379	37900.00
5	Amethi	463	46300.00
6	Amroha (JP Nagar)	263	26300.00
7	Auraiya	216	21600.00
8	Azamgarh	640	64000.00
9	Baghpat	283	28300.00
10	Bahraich	499	49900.00
11	Ballia	490	49000.00
12	Balrampur	335	33500.00
13	Banda	422	42200.00
14	barabanki	526	52600.00

B15.3.2.13			
S.No.	District	No of ANMs	Approved @ Rs. 100/ANM for printing of RCH Instruction manual
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4 = Col.3 x 100
15	Bareilly	690	69000.00
16	Basti	514	51400.00
17	Bijnor	442	44200.00
18	Budaun	517	51700.00
19	Bulandshahar	565	56500.00
20	Chandauli	367	36700.00
21	Chitrakoot	212	21200.00
22	Deoria	460	46000.00
23	Etah	311	31100.00
24	Etawah	254	25400.00
25	Faizabad	355	35500.00
26	Farukhabad	364	36400.00
27	Fatehpur	389	38900.00
28	Firozabad	282	28200.00
29	Gautam Buddha Nagar	221	22100.00
30	Ghaziabad	232	23200.00
31	Ghazipur	674	67400.00
32	Gonda	486	48600.00
33	Gorakhpur	775	77500.00
34	Hamirpur	292	29200.00
35	Hapur	295	29500.00
36	Hardoi	545	54500.00
37	Hathras	363	36300.00
38	Jalaun	472	47200.00
39	Jaunpur	618	61800.00
40	Jhansi	391	39100.00
41	Kannauj	279	27900.00
42	Kanpur Dehat	328	32800.00
43	Kanpur Nagar	566	56600.00
44	Kasganj	246	24600.00
45	Kaushambi	242	24200.00
46	Kushi Nagar (Padrauna)	532	53200.00
47	Lakhimpur Kheri	561	56100.00
48	Lalitpur	239	23900.00
49	Lucknow* (+3)	382	38200.00
50	Maharajganj	388	38800.00
51	Mahoba	175	17500.00
52	Mainpuri	583	58300.00
53	Mathura	336	33600.00
54	MAU	306	30600.00
55	Meerut	433	43300.00
56	MIRZAPUR	491	49100.00
57	Moradabad	469	46900.00
58	Muzaffar Nagar	373	37300.00
59	Pilibhit	264	26400.00
60	Pratapgarh	556	55600.00
61	Raebareli	437	43700.00
62	Rampur	312	31200.00
63	Saharanpur	628	62800.00
64	Sambhal	228	22800.00
65	Sant Kabir Nagar	286	28600.00
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	233	23300.00
67	Shahjahanpur	569	56900.00
68	Shamali	227	22700.00
69	Shrawasti	161	16100.00
70	Siddharth Nagar	355	35500.00
71	Sitapur	570	57000.00
72	Sonbhadra	328	32800.00

S.No.	District	No of ANMs	B15.3.2.13 Approved @ Rs. 100/ANM for printing of RCH Instruction manual
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4 = Col.3 x 100
73	Sultanpur	458	45800.00
74	Unnao	565	56500.00
75	Varanasi	461	46100.00
		31098	3109800.00
रु 31,09,800 (रूपया इकत्तीस लाख नौ हजार आठ सौ मात्र)			

उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार आर०सी०एच० इन्सट्रक्शन मैनुअल की प्रिंटिंग हेतु धनराशि रु 31,09,800 (रूपया इकत्तीस लाख नौ हजार आठ सौ मात्र) अवमुक्त की जा रही है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम०सी०टी०एस० मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ०एम०आर० कोड संख्या बी15.3.2.13 से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

आर०सी०एच० इन्सट्रक्शन मैनुअल की प्रति www.upnrhm.gov.in के download सेक्शन में दिये गये लिंक Instruction manual for ANM to record information in RCH register version 1.1 पर उपलब्ध हैं।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी

संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय
A
6/6
(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 रजिस्टर/2015-16/51-आर/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0